77/2021/I/81229/202

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग लखनऊ दिनांकः 20 जुलाई, 2021

विषयः संस्थान के निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक की पुनरीक्षित लागत तथा कार्यदायी संस्था को देय धनराशि के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1183/डा0रा0म0लो0आ0सं0/वित्त एवं लेखा/ 2019, दिनांक 21 जून, 2019 एवं पत्र संख्या-863/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2021, दिनांक 21 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- शासनादेश संख्या्-27/2019/529/71-2-2019-आर0एम-09/2011 दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा संस्थान के एकेडमिक ब्लाक के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 38252.42 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) पर अनुमति प्रदान की गयी। उक्त के उपरान्त शासनादेश संख्या-32/2019/655/71-2-2019-आर0एम-09/2011 दिनांक 25 मार्च, 2019 द्वारा रू0 2092.93 लाख + जी0एस0टी0 हेतु रू0 550.25 अर्थात कुल रू0 2643.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त अवमुक्त धनराशि का पूर्ण भुगतान कार्यदायी संस्था को नहीं किया गया।

3- इस संबंध में संस्थान के पत्र दिनांक 21 जून, 2019 में उल्लेख है कि प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत पूर्व में सब-वे का निर्माण कराया जाना सम्मिलित था, कालान्तर में इसका निर्माण न कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रस्तावित सब-वे के सापेक्ष मूल्यांकित/अनुमोदित धनराशि संस्थान के पास अवशेष है।

4- संस्थान के पत्र दिनांक 21 जून, 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि एकेडमिक ब्लाक के भवन निर्माण के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में रू0 193.3375571 लाख रू)0 107.1428571+861947) की मांग की गयी थी। पुनः कार्यदायी संस्था के पत्र दिनांक 09-06-2021 द्वारा जी0एस0टी0 मद में रू0 22.81662 लाख अर्थात कुल रू0 193.3375571 लाख रू +0 22.81662 लाख अर्थात कुल रू0 216.1541771 लाख की मांग की गयी है।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान के एकेडमिक ब्लाक भवन के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2019 द्वारा जी0एस0टी0 सहित अवमुक्त धनराशि रू0 2643.18 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से कार्यदायी संस्था को जी0एस0टी0 के भुगतान हेतु कुल रू0 216.1541771 लाख अवमुक्त करने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसारः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।